मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ξ /बी– 6/22/वि–9/आरजीएम/99 भोपाल दिनांक /02/99

आदेश व्मांक–17
तकनीकी परिपत्रा : तीन/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास

प्रति,

1. अध्यक्ष समस्त
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, समस्त
   मध्यप्रदेश

3. कार्यपालक निदेशक समस्त
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त
   जनपद पंचायत,

5. परियोजना अधिकारी, समस्त
   मिली जलग्रहण क्षेत्रा

विषय :–राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के संबंध में तकनीकी दिशा निर्देश ।

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यव्म के अंतर्गत तकनीकी प्रवृत्ति के कायो। को सम्पादित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन हेतु यह तीसरा परिपत्रा है। इसके पूर्व तकनीकी परिपत्रा एक/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास दिनांक 3.4.97 एवं तकनीकी परिपत्रा दो/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास दिनांक 30.4.97 केवल ाान क्षेत्रा के लिये जारी किये गये हैं। इस परिपत्रा में दिये गये निर्देश सुझावात्मक हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इसमें फेर बदल संभव है। ऋपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी मिलीवाटरशेड, जनपद पंचायत कार्यालय तथा जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

1.0 पृष्ठभूमि :–

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा प्रबंधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न उपयोगकर्ता दलों की समस्याओं के निराकरण की रणनीति के अंतर्गत विभिन्न उपचार कार्य किये जाते हैं। इसी रणनीति के अंतर्गत शासकीय भूमि पर विभिन्न उपयोगकर्ता दलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये चारागाह विकास, फलदार वृक्षों का रोपण इत्यादि गतिविधिया ली गई हैं और इन गतिविधियों को सफल बनाने के लिये अर्थात नमी बढ़ाने तथा उपजा मिट्टी की परत उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभिन्न संरचनायें तथा टे चेज, बोल्डर चेक इत्यादि निर्मित किये जाते हैं। यह गतिविधिया सामान्यतः माइवेवाटरशेड के परी क्षेत्रा अर्थात् रीचार्ज जीन में ली जाती हैं। कम ढाल वाले क्षेत्राों में मृदा संरक्षण तथा जल संवर्धन कायो। के संबंध में निर्देशों के अभाव में निजी भूमि पर उपचार कार्य अभी तक नहीं लिये गये हैं।

2.0 आवश्यकता

ट ांजीशन तथा डिसचार्ज जोन में खेती करने वाले ऋषकों की निजी भूमि की समस्याओं तथा सूखे के प्रभाव को कम करने कुओं में भूजल उपलब्धता बेहतर करने, ऋषि उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की नमी सहेजने के गुणों में वांछित वृद्धि करने की दृष्टि से उपयोगकर्ता दलों के लिए बड़ी मात्राा में समन्वित प्रयास उपचार कार्य प्रारंभ नहीं किये गये हैं। अतः इन क्षेत्राों में वर्णित समस्याओं से पीड़ित उपयोगकर्ता दल स्वावलम्बन दल केसदस्यों के लिए गतिविधियां बड़े पैमाने पर लिये जाने की आवश्यकता है।

2.1 समस्यायें :–

ट ांजीशन एवं डिसचार्ज जोन में खेती करने वाले ऋषकों की निजी भूमि की प्रमुख समस्यायें निम्नानुसार हो सकती हैं :–

- अ भूमि कटाव
- ब कुओं तथा नलकूपों में सिंचाई जरूरत में कम पानी
- स ऋषि भूमि में नमी सहेजने के गुणों की कमी
- द अन्य समस्यायें

3.0 समस्याओं के निदान का मार्गदर्शी पक्ष

ट ांजीशन तथा डिसचार्ज जोन में खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसल मौटे तौर पर उपचार कायो। के स्वरूप को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में धान ली जाती है। यह फसल अपने विकास के लिए खेत में जल संग्रह चाहती है। अतः धान के खेतों में जल संग्रह के लिए मेढ़ बनाना आवश्यक है, परन्तु धान के अतिरिक्त खरीफ में ली जाने वाली अन्य फसलों के लिए खेत में पानी भरकर रखना फसल के लिए हानिकारक है अतः फसलों के विशिष्ट गुणों के कारण शेष खेतों में भूमि कटाव रोकने, नमी बढ़ाने या भूजल संवर्धन/आवर्ान करने के उद्देश्य से मेंढ़ बंदी नहीं की जा सकती है।

4.0 खरीफ फसलों के परिप्रेक्ष्य में मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्धारण

मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम में ली जाने वाली फसलों को निम्न दो प्रमुख वगो। में विभाजित किया जा सकता है–

अ॰ धन की फसल

ब॰ धान के अतिरिक्त शेष फसलें

उपरोक्त दोनों वगो॰ के खेतों में भूमि कटाव रोकने, नमी बढ़ाने या भूजल आवर्धन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार संरचनाएं प्रस्तावित की जाती है –

4.1 धान खरीफ॰ के खेतों में प्रस्तावित संरचनाये –

धान के खेतों के लिए उपयुक्त सरंचना मेढ़बंदी है। इस संरचना का उद्देश्य नमी बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने तथा अच्छी फसल लेना है। यह संरचना पूर्व से ही धान के खेतों में विद्यमान है। अतः धान के खेतों में मेंढ निर्माण की आवश्यकता नहीं है। मिशन के स्थायी आदेश ॅ 14 तकनीकी परिपत्रा : दो/97–98/जलग्रहण क्षेत्रा विकास॰ दिनांक 30.4.97 में प्रस्तावित संरचना के निर्माण से भूजल संवर्धन का उद्देश्य प्राप्त होता है। अतः धान के खेतों में डबरी/डबरा निर्माण के अतिरिक्त अन्य संरचनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.2 धान खरीफ॰ के अतिरिक्त शेष फसलें

धान के अतिरिक्त शेष फसलों की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इन खेतों में भूमि कटाव रोकने, नमी बढ़ाने अथवा भूजल संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेढ़ बंदी ;त्वचमतजल इनदकेद्ध नहीं ली जा सकती है। इन खेतों में उपयोगकर्ता दल के लिए मृदा संरक्षण एवं भूजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नियमानुसार संरचनाएं प्रस्तावित है।

4.2.1 मृदा संरक्षण

मेंढ विहीन खेतों में मृदा संरक्षण के लिए रन ऑफ की गति को कम करने तथा मात्राा को सीमित करने की आवश्यकता है। रन ऑफ की गति कम करने के लिए उपयोगकर्ता अपने खेत में गली प्लग ;ळनससल चसनहद्ध का आवश्यकतानुसार उपयुक्त उपयोग स्थलों पर निर्माण कर सकते है। गली प्लग निर्माण से मृदा संरक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है परन्तु गली प्लग के ऊपरी भाग में एकत्रित पानी फसल के लिए नुकसानप्रद होगा। अतः गली प्लग का निर्माण एकत्रित जल को नियोजित किये बिना उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। एकत्रित जल के नियोजन के लिए आगे सुझाव वर्णित है। इन सुझावों साथ ही गली प्लग के निर्माण पर उपयोगकर्ता दल से चर्चा कर उनका निर्णय प्राप्त किया जाना चाहिये।

4.22 भूजल संवर्धन

मेंढ विहीन खेतों में मृदा संरक्षण के लिए गली प्लगों ;ळनससल च्सनहेद्ध का निर्माण प्रस्तावित है तथा इन गली प्लग के ऊपरी भाग में एकत्रित जल को नियोजित करने अर्थात् रन ऑफ की मात्राा सीमित करने के उद्देश्य से चटटानी क्षेत्रों में अपक्षीण चट्टान ;ॅमंजीमतमक तवबाद्ध तक बरमें ;ंअदक ।नहमतद्ध की सहायता से छेद कर उसके एक तिहाई भाग को बजरी ;ळतंअमसद्ध से तथा शेष भाग को रेत से भरना चाहिये ताकि एकत्रित पानी जमीन में रिस जावे।

गली प्लग के अतिरिक्त खेत के निचले हिस्से में जहा से अतिरिक्त पानी ;ैनतचसने ॅंजमतद्ध बहकर निकलता है, उस भाग में 0.5 मीटर चौड़ा तथा 0.5 मीटर गहरा सोक पिट बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस सोक पिट की आऊति खेत की सीमा के अनुसार होगी तथा लम्बाई रन ऑफ की मात्राानुसार एवं बरसाती पानी निकलने वाले सीमित क्षेत्रा तक ही रखा जाना प्रस्तावित है। इस सोक पिट की तली में बरमें ;ंअदक ।नहमतद्ध की सहायता से 0.5 मीटर की दूरी पर अपक्षीण चट्टान ;ॅमंजीमतमक त्वबाद्ध तक छिद्र कर उन्हें बजरी तथा रेत से ऊपर वर्णित अनुसार भर देना चाहिए। सोक पिट के ऊपरी भाग पर बोल्डर तथा रेत का 0.15 मीटर ऊँचा तथा 0.3 मीटर चौड़ा बन्ड ;ठनदकद्ध बनाने से अपेक्षाऊत साफ पानी सोक पिट में जावेगा और रन ऑफ की मात्राा को सीमित करेगा। गली प्लग और खेत के निचले भाग में निर्मित सोक पिट के कारण मृदा संरक्षण तथा भूजल संवर्धन के लक्ष्य पैरा – 2.0॰ को, बिना नुकसान पहुंचाये, प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित प्रयास प्रत्येक खेत में किये जाने से कुओं तथा नलकूपों की क्षमता में वृद्धि होगी तथा भूमि कटाव कम होगा तथा नालों के जल प्रवाह की अवधि में सुधार होगा। यह प्रयास गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऊषकों के लिये प्राथमिकता के आधार पर लिये जावेंगे।

5.0 वित्तीय व्यवस्था

उपरोक्त वर्णित संरचनायें गली प्लग एवं सोक पिट॰ उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के लिये मुख्यतः कम ढाल वाले क्षेत्रों में ली जा सकती है। इन संरचनाओं के निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा प्रति हेक्टेयर रू. दो सौ मात्रा होगी तथा इस सीमा से अधिक हुआ व्यय उपयोगकर्ता दल के सदस्य द्वारा वहन किया जावेगा।

6.0 संरचना निर्माण के लिये योगदान

उपरोक्त संरचनाओं का निर्माण उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के खेतों में किया जावेगा तथा निर्माण लागत की पैरा 5.0 में वर्णित सीमा रू. 200/–॰ का न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत योगदान के रूप में श्रम, नगद अथवा सामग्री के रूप में देय होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा पन्द्रह प्रतिशत न्यूनतम अनुदान श्रम, नगद अथवा सामग्री के रूप देय होगा।

7.0 संरचनाओं की डिजायन एवं लागत

उपरोक्त संरचनाओं की डिजायन एवं लागत का निर्धारण वाटरशेड कमेटी एवं परियोजना अधिकारी, मिलीवाटरशेड द्वारा किया जावेगा तथा अनुमोदित डिजायन के अनुसार संरचना निर्माण का दायित्व वाटरशेड कमेटी/उपयोगकर्ता दल के सदस्य का होगा। मार्गदर्शन के लिये सोक पिट का संभावित चित्रा आदेश के साथ संलग्न है।

आर. परशुरराम॰
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. ॅ /बी–6/22/वि–9/आरजीएम/99 भोपाल दिनांक ॅ02ॅ99

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
2. निज सहायक, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर।
4. ऋषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल।
5. विकास आयुक्त / प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग / आदिम जाति, अनु.जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग / योजना विभाग / विज्ञान एवं टेक्नालॉजी विभाग, भोपाल।
7. सचिव, म.प्र. शासन, ऋषि विभाग / सहकारिता विभाग / ग्रामोद्योग विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग / वन विभाग / जल संसाधन विभाग / जन सपंर्क, भोपाल।
8. संभागीय आयुक्त समस्त> म.प्र.।
9.